

दिल्ली सरकार राजपत्र भाग-4 असाधारण संकल्प में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

सं० एफ 12/04/2011/प्र.सु./1630-1789/C

दिनांक 27/02/12

सं० एफ 12/04/2011/प्र.सु./—जबकि प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम संघीय सरकार एवं अन्य नामक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 1996 की डब्लू.पी. (सी) सं० 310 में दिये गये निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिये भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से दिनांक 17.11.2011 के पत्र संख्या 14040/127/2010-UTP द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने यह निर्णय सूचित किया था कि दिनांक 30.7.1998 की अधिसूचना संख्या 4/14/94-प्र.सु. द्वारा यथासंशोधित दिनांक 25.09.1997 की अधिसूचना संख्या 4/14/94-प्र.सु. में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा स्थापित लोक शिकायत आयोग की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का विस्तार किया जाये ताकि इसके अंतर्गत उक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित जन साधारण की दिल्ली पुलिस से संबंधित शिकायतों की भी सुनवाई हो सके ।

अतः अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, उक्त निर्देशों के अनुपालन में समय-समय पर यथासंशोधित उक्त संदर्भित अपने संकल्प में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल प्रभावी होंगे, अर्थात्:-

संशोधन

समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 25/09/1997 के संकल्प संख्या 4/14/94-प्र. सु. के-

1. पैराग्राफ 1 में शब्द "और इस प्रकार की शिकायतों के निवारण के लिये यथावश्यक कार्यवाही की सिफारिश करे" के बाद और शब्द "इस समय आयोग दिल्ली शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग से सम्बद्ध है" से पहले, शब्द "जन शिकायत निवारण आयोग को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के स्थान पर नए पुलिस अधिनियम के आने तक, किसी अन्तरिम व्यवस्था के होने तक, दिल्ली पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई के प्रयोजनार्थ पुलिस शिकायत प्राधिकरण इसके पश्चात्, "प्राधिकरण" के रूप में भी कहा जाएगा", सन्निविष्ट किए जाएंगे।

2. पैराग्राफ 2 में खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"अध्यक्ष महोदय को समय-समय पर ग्राह्य भत्तों सहित 80000 रुपये प्रतिमाह के नियत वेतन का भुगतान किया जायेगा । आगे शर्त यह है कि यदि अध्यक्ष अपनी नियुक्ति के समय पेंशन (अपंगता या युद्ध पेंशन के अलावा) प्राप्त कर रहा है तो भारत सरकार के अंतर्गत या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी पूर्ववर्ती सेवा संबंधी उसके वेतन में, आयोग में उसकी सेवा का ध्यान रखे बिना पेंशन की राशि घटायी जाएगी। पूर्णकालिक सदस्यों को समान शर्तों के अनुसार समय-समय पर ग्राह्य ऐसे भत्तों सहित 80000 रुपये प्रतिमाह का नियत शुल्क का भुगतान किया जायेगा। दो अंशकालिक सदस्यों को 25000 रुपये प्रतिमाह का निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा । अध्यक्ष तथा सदस्यों (अंशकालिक सदस्यों सहित)

की अन्य शर्तें तथा सेवा शर्तें भारत सरकार में समतुल्य पद रखने वाले अधिकारियों पर लागू शर्तों के समान होगी।”

3. पैराग्राफ 2 (ख) में “शक्तियां तथा कार्य” शीर्षक के अंतर्गत खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खण्डों को सन्निविष्ट किया जायेगा अर्थात् :-

“(5) (क) पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां तथा कार्य निम्न प्रकार होंगे :-

(i) पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य निम्न प्रकार होंगे :-

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध नीचे बताये गये “गंभीर कदाचार” के आरोपों की या तो स्वप्रेरित या निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पर जांच करना :-

(क) पीड़ित या पीड़ित की तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा ;

(ग) पुलिस; या

(घ) किसी अन्य स्रोत से।

स्पष्टीकरण: “गंभीर कदाचार” का अर्थ इस उप-खण्ड के लिये पुलिस अधिकारी का ऐसा कार्य या चूक, जिसका परिणाम हो सकता है:-

(क) पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु;

(ख) भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 320 में यथा-परिभाषित गंभीर चोट;

(ग) बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयत्न;

(घ) अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या कैद;

(ङ) फिरौती;

(च) भूमि/मकान हड़पना; या

(छ) अधिकार के दुरुपयोग संबंधी कोई अन्य घटना:

उपबंध है कि प्राधिकरण ऐसी गिरफ्तारी या कैद की शिकायत की केवल तभी जाँच करेगा, यदि उसे प्रथम दृष्टया शिकायत की गंभीरता पर विश्वास है।

(ii) प्राधिकरण, प्रशासक/केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये किसी अन्य मामले की भी जाँच करेगा।

(5) (ख) पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां इस प्रकार होंगी :-

(i) प्राधिकरण किसी व्यक्ति या अधिकारी को ऐसे मुद्दों या मामलों पर सूचना देने के लिये कह सकता है, जो प्राधिकरण की राय में जांच की विषय-वस्तु के संदर्भ में उपयोगी है।

(ii) प्राधिकरण, अंतिम राय देने से पहले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में पुलिस बल का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारियों को विभाग की राय तथा अतिरिक्त तथ्यों को प्रस्तुत करने का अवसर देगा, यदि प्राधिकरण की सूचना में पहले से नहीं है और ऐसे मामलों में प्राधिकरण, पुलिस बल का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी से ऐसी अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर, जिसका मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अपने निष्कर्ष की समीक्षा कर सकता है।

(iii) जिन मामलों में प्राधिकरण सीधे जांच करता है, जांच पूर्ण होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में पुलिस बल का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी को अपने निष्कर्ष के साथ निम्नलिखित निर्देश सूचित करेगा:-

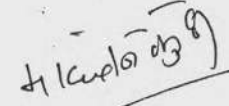
(क) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाये, तथा/या

(ख) निष्कर्ष के आधार पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाये,

साथ ही पुलिस द्वारा एकत्रित साक्ष्य भी भेजेगा।

(iv) प्राधिकरण के निर्देश सामान्यतः बाध्य होंगे, जब तक दिल्ली सरकार लिखित अभिलेखबद्ध किये गये कारणों के अनुसार प्राधिकरण के निष्कर्ष से असहमति का निर्णय नहीं लेती।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,



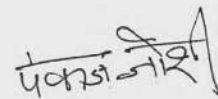
(डा० एम.एम. कुट्टी)
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

सं० एफ 12/04/2011/प्र.सु./1630-1789/८

दिनांक 27/02/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (पाँच प्रतियाँ सहित)।
2. सभी प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सभी विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सभी विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय/स्वायत्त संस्था/उपक्रम एवं अन्य संस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्रियों के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. विशेष कार्याधिकारी, लोकायुक्त कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, जन शिकायत आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. उप सचिव (समन्वय), सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दो प्रतियाँ दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में प्रकाशनार्थ। इस राजपत्र की पाँच प्रतियाँ अलग से सरकारी उपयोग हेतु इस विभाग को तथा सेवाएं विभाग को भिजवाने की कृपा करें।



(पंकज जोशी)
उप-निदेशक (प्र०सु०)

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE, EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

RESOLUTION

No.F.12/04/2011/AR /1630-1789/C

Dated the 27 February 2012

No.F.12/04/2011/AR.— Whereas in order to implement the directions of Hon'ble Supreme Court in W.P. (C) No.310 of 1996, titled "Prakash Singh & Ors Vs. Union of India & Ors." it has been decided with the prior approval of Government of India conveyed by the Ministry of Home Affairs vide letter No.14040/127/2010-UTP dated 17.11.2011 to extend the role and responsibility of Public Grievances Commission set up by the Government of National Capital Territory of Delhi vide Notification No.4/14/94-AR dated 25.09.1997 as modified by the Notification No.4/14/94-AR dated 30.07.1998 so as to attend to public complaints relating to Delhi Police as directed by the Hon'ble Supreme Court in the said case.

Now, therefore, in order to comply with the above directions, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in its Resolution referred to above as modified from time to time which shall come into force with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In the Resolution No.4/14/94-AR dated 25.09.1997 as modified from time to time—

1. In paragraph 1, after the words "and to recommend such action as considered necessary for removal of such grievances" and before the words "The Commission shall, for the present be attached to the Department of Administrative Reforms", the words "The Public Grievances Commission shall also be called Police Complaints Authority hereinafter called as "Authority" for the purposes of attending to complaints against Delhi Police, as an interim arrangement, till the Delhi Police Act, 1978 is replaced with the new Police Act."
2. In paragraph 2, for clause (v) the following clause shall be substituted, namely:-

"The Chairman shall be paid a fixed salary of `80,000/- per month together with such allowances as admissible from time to time, provided further that if the Chairman at the time of his appointment is in receipt of pension (other than disability or war pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of State, his salary, irrespective of his service in the Commission, shall be reduced by the amount of that pension. The Whole-time Member shall be paid, subject to the same conditions, a fixed salary of 80,000/- per month together with such allowances as admissible from time to time. The two part-time Members shall be paid a fixed fee of `25,000/- per month. The other terms and conditions of service of the Chairman and Members (including part-time Members) shall be such as are applicable to the officers of comparable status in the Government of India."
3. In paragraph 2 (B) under the heading "Powers and Functions" after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(v) (a) The Powers and Functions of Police Complaints Authority shall be as under:-

(i) The functions of the Police Complaints Authority shall be as under:

The Authority shall inquire into allegations of "serious misconduct" against police personnel, as detailed below, either *suo motu* or on a complaint received from any of the following:-

- (a) a victim or any person on his/her behalf;
- (b) the National or the State Human Rights Commission;
- (c) the police; or
- (d) any other source.

Explanation: "Serious misconduct" for the purpose of this sub clause shall mean any act or omission of a police officer that leads to or amounts to:

- (a) death in police custody;
- (b) grievous hurt, as defined in section 320 of the Indian Penal Code, 1860;
- (c) rape or attempt to commit rape;
- (d) arrest or detention without due process of law;
- (e) extortion;
- (f) land/house grabbing; or
- (g) any incident involving serious abuse of authority:

Provided that the Authority shall inquire into a complaint of such arrest or detention, only if it is satisfied *prima facie* about the veracity of the complaint.

- (ii) The Authority may also inquire into any other case referred to it by the Administrator/Central Government.

(v) (b) The power of the Police Complaints Authority may be as under:-

- (i) The Authority may require any person or authority to furnish information on such points or matters as in the opinion of the Authority may be useful for or relevant to the subject matter of enquiry;
- (ii) The Authority, before finalizing its opinion, shall give the Police Officer heading the police force in the NCT of Delhi an opportunity to present the department's view and additional facts, if any, not already in the notice of the Authority and in such cases, the Authority may review its findings upon receipt of additional information from the Police Officer heading the police force in the NCT of Delhi that may have a material bearing on the case.
- (iii) In the cases directly inquired by the Authority, it may, upon completion of the inquiry, communicate its findings to the police officer heading the police force in the NCT of Delhi with a direction to-

- (a) register a First Information Report; and/or
- (b) initiate departmental action based on such findings,

duly forwarding the evidence collected by it to the police.

(iv) The directions of the Authority shall ordinarily be binding, unless for the reasons to be recorded in writing, the Government of NCT of Delhi decides to disagree with the findings of the Authority."

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,



(DR. M.M. KUTTY)

PR. SECRETARY (ADMINISTRATIVE REFORMS)

No.F.12/04/2011/AR /1630-1789/C

Dated the 27 February 2012

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi (with 5 copies).
2. All Pr. Secretaries / Secretaries / Spl. Secretaries / Jt. Secretaries / Dy. Secretaries / Under Secretaries, Government of NCT of Delhi.
3. All Head of Departments, Government of NCT of Delhi.
4. All Heads of Local Bodies / Autonomous Bodies / Undertaking and other institutions owned or substantially financed by the Govt. of NCT of Delhi.
5. Pr. Secretary to Lt. Governor / Pr. Secretary to Chief Minister / Secretary to Ministers, Government of NCT of Delhi.
6. The OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
7. Secretary, Public Grievances Commission, Govt. of NCT of Delhi.
8. The Deputy Secretary (Co-ordination), General Administration Department (GAD), Govt. of NCT of Delhi, in duplicate, for publication in the Delhi Gazette, Part-IV (Extra Ordinary). Five (05) copies of the Gazette may please be supplied to this Department and Services-II Department, separately, for official use.



(PANKAJ JOSHI)

DEPUTY DIRECTOR (AR)